न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 48/2022

अनवान : —

1. शिशपाल पत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. दलीपसिंह पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
2. रेशमा देवी पुत्री मथरी जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
3. चिड़िया पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
4. कमला पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
5. तारादेवी पुत्री बीरबल जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
6. रूघाराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
7. रामस्वरूप पुत्र बीरबल जाति जाट निवास निनाण त0 भादरा।
8. खजानी पत्नी प्रताप जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
9. सुभाषचन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण **प्रार्थी**

श्री सरबजीत कौर **अप्रार्थीगण**

निर्णय दिनांकः 23/01/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 96/92 के मु0न0 32 के किला न0 5/1, 5/2, 6, 15 की कुल 0.759है0 नेहरी मय खाला खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 42/53 के मु0न0 42 की कुल 1.012है0 व खाता सं0 129/43 के मु0न0 42, 43 की कुल 0.675है0 अप्रार्थी सं0 1 दलीपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 130/43 के मु0न0 35, 42 की कुल 2.689है0 अप्रार्थीया सं0 2 रेशमीदेवी तथा इसी चक के खाता सं0 131/43 के मु0न0 42 की कुल 1.338है0 अप्रार्थीया सं0 3 चिड़िया के नाम व चक 9 जेजीडब्ल्यू के ही खाता सं0 132/43 के मु0न0 33, 43 की कुल 2.373है0 अप्रार्थी सं0 2 ता 7 के नाम व चक 9 जेजीडब्ल्यू के ही खाता सं0 127/43 के मु0न0 33, 43 की कुल 2.355है0 अप्रार्थी सं0 8—9 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वाद भूमि पहले सभी काश्तकारान की संयुक्त कृषि भूमि थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद भूमि का विभाजन तहसीलदार भादरा के द्वारा करवाया जाकर नामान्तरण सं0 615 दिनांक 12.09.2022 तस्दीक करवा लिया गया। जबकि चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 42/53 की कृषि भूमि पूर्व में भी अप्रार्थी सं0 1 दलीपसिंह के नाम अकेले के दर्ज रिकार्ड थी। सभी पक्षकार अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए मु0न0 42 के किला न0 11 ता 15 के दक्षिणी तरफ एक–एक बिस्वा चौड़ाई व मु0न0 43 के किला न0 14 के दक्षिणी पूर्वी कोने से व किला न0 15 में एक बिस्वा दक्षिणी तरफ मु0न0 43 के किला न0 17 में एक बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण पूर्वी तरफ किला न0 24 में उत्तर से दक्षिण तरफ 14 फुट लम्बाई एक बिस्वा चौड़ाई पूर्वी तरफ रास्ता रख लिया व उसी रास्ता से सभी पक्षकार आवागमन करते है जिसे हम पक्षकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 1 के खाता सं0 42/53 के किला न0 6 में दर्ज 0.025है0 रास्ता पूर्व में हम पक्षकार अपनी खातेदारी में जाने के लिए उपयोग में लेते थे लेकिन विभाजन के बाद उक्त रास्ता का कोई भी उपयोग हम पक्षकारान द्वारा नहीं लिया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 ता 9 ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। अप्रार्थी सं0 10 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 9 ने उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने पर सहमती प्रकट की है तथा उक्त रास्ता की एवज में किसी भी प्रकार का लेनदेन अथवा भूमि को नहीं लेना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज किला न0 6 के 0.025है0 गै0मु0 रास्ता का उपयोग वर्तमान में सभी पक्षकारान द्वारा नहीं किया जाना स्वीकार किया है जिसकी एवज में अन्य रास्ता पक्षकारान द्वारा आपसी सहमती से प्रस्तावित किया है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए चक 9 जेजीडब्ल्यू के मु0न0 42 के किला न0 11 ता 15 के दक्षिणी तरफ एक–एक बिस्वा चौडाई में पूर्व से पश्चिम व मु0न0 43 के किला न0 14 के दक्षिणी पूर्वी कोने से तथा किला न0 15 में एक बिस्वा दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम मु0न0 43 के किला न0 17 में एक बिस्वा चाड़ाई में उत्तर से दक्षिण पूर्वी तरफ

किला न0 24 में उतर से दक्षिण 15 फुट लम्बाई व एक बिस्वा चौडाई पूर्वी तरफ रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। तथा चक 9 जेजीडब्लयू के खाता सं0 42/53 के किला न0 62 में दर्ज 0.025है रास्ता का अंकन हटाया जाकर भूमि अप्रार्थी सं0 1 दलीपसिंह के हिस्से में दर्ज की जावें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़